

26/11/2007

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण  
उपस्थित। तहसीलदार कावदी से मौका  
जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल  
मेसल की गयी। पत्रावली में प्रार्थीगण  
आदिवासी की वदस सुनी गयी।

आदिवासी प्रार्थीगण ने वदस में  
कचन किता छि पाउ गस्त कारामी  
गोम सेवकी कला के खसरा सं 540-  
542 तथा सेवा भवन के खसरा सं  
81/1 व खसरा सं 117 में प्रार्थीगण का  
नाम राजेश रेकड में लिखि की प्रार्थीगण  
राजाराम पुत्र उमाराम, रेखाराम पुत्र कुनाराम,  
गोपालराम पुत्र कुनाराम, कमली देवी w/o  
कुमाराम दर्ज हो गला जबकि प्रार्थीगण  
के वास्तविक नाम राजेश माछे पुत्र उमाराम,  
राजेश पुत्र कुनाराम, गोपालराम पुत्र कुनाराम  
एवं कमला पुत्री w/o कुनाराम हैं। अतः अलगुतार  
नाम सुद्धि करने का आदेश पारभावे।

वकील प्रार्थीगण की वदस सुनी गई।  
पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार कावदी  
का अवलोकन किया गया।  
बाद वदस मनन एवं अवलोकन के  
प्रार्थीगण का मामला न्याय संगत होने  
से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
136 R.L.R का स्वीकार किया जाते हैं एवं  
तहसीलदार कावदी को आदेशित किया  
जाता है कि वाद गस्त आशामी गत सेवकी  
कला के खसरा सं. 540 व 542 तथा  
सेवा भवन के खसरा सं. 81/1 व 117 में  
प्रार्थीगणों का नाम तहसीलदार कावदी से  
प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार

4

शुद्ध कर राजेंद्र भाषी पुत्र उमारा म,  
 राकेश पुत्र कुनाराम, गोपालराम पुत्र  
 कुनाराम व कमला पत्नी कुनाराम  
 राजरज रेकर्ड में अमल दर्शम दे करे।  
 वहीलदार बावरी की मौका वॉच  
 रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग रहेगी।  
 वहीलदार बावरी का आदेश  
 पालनाथ वहीर जारी है।  
 पत्रावली जमल सुभार होकर नम्बर  
 में कम होकर साखिले दफ्तर है।  
 निरीम सुले ज्ञापनात्म में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं  
 उपसह्य अधिकारी, बावरी